न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 28/2015 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00128

उनवान

जनरैल सिंह पुत्र चरन सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम रूंध पचगॉव तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सोहन सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम रूंध पचगॉव तहसील व जिला धौलपुर।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.2015 प्रकरण संख्या 04/2013 उनवान चरन सिंह बनाम सोहन सिंह न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री विनोद भार्गव एवं निशान्त भार्गव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–04.04.2022

यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 3250 वाके ग्राम पचगॉव तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 सोहन सिंह थे। उन्होनें दिनांक 18.07.1975 को विवादित आराजी लगान अदायगी की शर्त के साथ वादी चरन सिंह को काश्त करने हेतु दे दी थी। तभी से चरन सिंह उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने लगे। संवत 2035 के जेट मास में सोहन सिंह ने चरन सिंह से कब्जा वापस मॉगा, परन्तु चरन सिंह ने कब्जा वापस करने से इंकार कर दिया। चरन सिंह का विवादित आराजी पर कब्जा 12 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतित हो चुका है, जिस कारण प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 के जो भी अधिकार थे वह धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं तथा वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार कृषक हो चुका है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलांट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी चरन सिंह का देहांत हो गया है। अतः प्रार्थी उनका एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी है। अतः यह अपील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा दिनांक 18.07.1975 पर विश्वास ना कर कानूनी त्रुटि की है। वादी द्वारा पट्टे को साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेखो से वादी का कब्जा साबित ना होना मानने में त्रुटि की है। संवत 2030 के बाद राजस्व अभिलेखो में कब्जे की टीपन बंदन हो चुकी थी तो फिर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अंकित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने लगान अदायगी की 21 रसीदे प्रदर्श 2 लगायत 22 प्रस्तुत की है। जिनसे स्पष्ट साबित है कि अपीलाण्ट के पिता ने लगान अदा किया है। इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा लगान अदा किया जाना साबित नहीं होना मानने में तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुये वादी/अपीलाण्ट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पातें हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट का दावा सरसरी तौर पर खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली पर उपलब्ध लगान अदायगी की रसीदो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया, वादी/अपीलाण्ट के पिता चरन सिंह द्वारा लगान अदायगी किया जाना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने अपने पट्टे को भी अपने गवाहन पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 से सिद्ध कराया है। इसके अलावा प्रतिवादी/रैस्पो0 बाबजूद सूचना ना तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं एवं ना ही हस्तगत अपील में ही उपस्थित हुये हैं। अतः पट्टे बाबत् उनकी मौन स्वीकृति मानी जावेगी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मात्र कयासो के आधार पर उक्त पट्टे को वादी व प्रतिवादी की साजिश होना माना है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपील पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2014 में साविक खसरा नम्बर 1868 मिन, 1870 मिन पर सोहन सिंह वगै0 वहिस्सा बराबर हिस्सेदारान दर्ज रिकार्ड हैं। जमाबन्दी संवत 2022 में विवादित आराजी पर जगत सिंह व सोहन सिंह पिसरान हरभजन सिंह कौम जाट पंजाबी वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज अभिलेख हैं। नकल छायाप्रति खसरा बन्दोबस्ती वाके ग्राम पंचगॉव में गत खसरा नम्बर 1868 मिन व 1870 मिन से नवीन खसरा नम्बर 3250 बनना प्रकट है। उक्त खसरा बन्दोबस्ती के कॉलम संख्या 23 में बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी पर सोहन सिंह वगै0 को संवत 2012 जेरे

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-कोलपुर

कस्टोडियन अंकित कर रखा है एवं कॉलम संख्या 24 नाम कृषक(वर्तमान) में सोहन सिंह बल्द हरभजन सिंह वगै0 को गैर खातेदार कस्टोडियन दर्ज कर रखा है, जो विरोधाभाषी हैं। क्योंकि सोहन सिंह वगै0 संवत 2022 में विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज थे। तो उन्हें गैर खातेदार/गैर कस्टोडियन दर्ज करने का अधिकार, बन्दोबस्त विभाग को नहीं था। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन प्रारम्भ से ही क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध थें। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी को दिनांक 18.07.1975 को उनके खातेदार सोहन सिंह ने पट्टे पर, वादी/अपीलाण्ट के पिता को हमेशा–हमेशा पर काश्त करने हेतु दिया गया था एवं विवादित आराजी पर कस्टोडियन के इन्द्राज भी दौराने बंदोबस्त आये हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। विवादित आराजी पर सोहन सिंह पूर्व से खातेदार थे एवं उन्हें अपनी आराजी को पट्टे पर देने के पूर्ण अधिकार हासिल थे। हम अपीलांट के इस तर्क से भी सहमत हैं कि संवत 2030 के बाद राजस्व अभिलेखो में कब्जे की टीपन बंदन हो चुकी थी। लिहाजा उनके द्वारा विवादित आराजीयात की लगान अदायगी की रसीदे प्रस्तुत की गयी हैं एवं लगान की रसीदों से प्रथम दृष्टया विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त प्रमाणित होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 अपास्त किये जाकर, विवादित आराजी खसरा नम्बर 3250 वाके ग्राम पचगॉव तहसील व जिला धौलपुर पर वादी/अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–10/पुर्नवास) विभाग के परिपत्र क्रंमाक 2009 दिनांक 30.03.2012 एवं इस क्रम में अन्य अद्यतन परिपत्र की अनुपालना में वादी/अपीलाण्ट से विवादित आराजी बाबत् नियमानुसार शुल्क जमा कराते हुये, तदानुसार राजस्व अभिलेख में खातेदारी इंद्राज करावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर